

## प्रेस नोट दिनांक 27.06.2022 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

### **अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विकास सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी महुआ तिराहा चांदनी टेलर के बगल में पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कब्जे से कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए दिनांक 27.06.2022 को समय 11.10 बजे बलदेव प्लाजा खोवा मंडी के पास से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 444/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **पूछताछ विवरण:-**

अभियुक्त विकास सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी महुआ तिराहा चांदनी टेलर के बगल में पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर पूछने पर बता रहा है कि साहब मैं काफी गरीब आदमी हूँ जिविकोपार्जन के लिये कच्ची शराब को शहर में लाकर राहगीरो को बेच देता हूँ। आज भी मैं शहर में कच्ची शराब लेकर बेचने के लिए आया था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

विकास सोनकर पुत्र छोटेलाल निवासी महुआ तिराहा चांदनी टेलर के बगल में पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 444/22 धारा 60 EX Act भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

#### **बरामदगी-**

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

#### **गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान/समय-**

बलदेव प्लाजा खोवा मंडी के पास से / दिनांक 27.06.2022 समय 11.10 बजे

#### **गिरफ्तारी की टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0श्री अरुण कुमार पाण्डेय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 राजेश यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 संदीप कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर